जनपद–जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425किमी) के निर्माण हेतु 9.194है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव में बाधित हो रहे बांज वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी ।

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

भूमि का प्रकार	रेंज /ब्लाक	बाधित बॉज वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण									
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से ऊपर	योग
आरक्षित वन भूमि	आरक्षित वन भूमि मोटीधार कक्ष संख्या 2ए,1ए, 1बी तथा नाली–1 (705 वृक्ष)	16	65	28	13	0	0	0	0	0	122
सिविल भूमि	गाम मझाड़ा (7वृक्ष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नाप भूमि	कुसरियाना चक एवं ग्राम नाला (115वृक्ष)	8	11	4	01	0	0	0	0	0	24
कुल योग	**827 वृक्ष**	**24**	**76**	**32**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त मार्ग के समरेखण में बाधित बांज वृक्षों का निरीक्षण दिनांक 07–12–2015 को प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के साथ किया गया । मार्ग के समरेखण में बाधित वृक्षों के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्न प्रकार है।

प्रस्तावित मार्ग का समरेखण जो वन भूमि से होकर जा रहा है, के समरेखण में कुल 712 वृक्ष बाधित हैं,जिसमें 122 वृक्ष बांज प्रजाति के बाधित सम्मिलित हैं।

2– नाप भूमि में कुल 115 वृक्ष बाधित है जिसमें 24 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं।

3– मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति के 0–10 ब्यास वर्ग के 89 वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर संबंधित क्षेत्र के वनाधिकारी,वन कर्मियों की देख–रेख में ट्रांसप्लान्ट किये जाने हेतु मौके पर निर्देश दिये गये हैं तथा इस हेतु प्रस्तावक विभाग के व्यय पर प्रांकलन भी अपलोड किया जा रहा है।

प्रस्तावित मार्ग के निर्माण होने से ग्राम नालीकलां एवं कार्लीगाड़ के ग्रामवासी मुख्य मार्ग से जुड़ जायेंगे। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनहित में वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु वांछित वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 1984 / दिनांक, मसूरी 04 –12–2015।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई –11.425 किमी0) के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/13657/2015 dt. 02.07.2015.**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1391 / 12–1(1), दिनांक नवम्बर 27, 2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 1540 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0–दे0दून / वन भूमि, दिनांक 01–12–2015 से विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मोटर मार्ग निर्माण से प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित हो रहे 0–10 व्यासवर्ग के आंगणित 89 वृक्षों को प्रस्तावक विभाग के व्यय पर Transplant किये जाने की सहमति (संशोधित) प्राक्कलन पर समुहर हस्ताक्षर उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। प्राक्कलन को आनलाईन करते हुए प्राक्कलन दो प्रति (मूल में) अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार।

यमुना वृत्त
3980
1271
5-12-15

भवदीय

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1984 / दिनांकित। 5/12/2015

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून, को उक्त सन्दर्भित पत्र एंव उनके पत्र सं0 1540 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0–दे0दून / वन भूमि, दिनांक 01–12–2015 के कम में।

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email: eepmgsydehradun@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक 1540 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0–दे0दून / वन भूमि

दिनांक 01 / 12 / 2015

विषयः– जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकंला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–11.425) के नव निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 गैर वानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1880 / 12–1 दिनांक, मसूरी 30.11.2015

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, उत्तराखण्ड।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है ट्रन्सप्लान्ट किये जाने वाले वृक्षों के अंगणित प्राक्कलन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा / सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है तथा हस्ताक्षर उपरान्त भी संग्नल कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि प्रभाग स्तर से प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्त प्रमाण पत्रों की 3 प्रतियां

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

पत्रांक / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0–दे0दून / वन भूमि / तदिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–3, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत् रूचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

परियोजना— जनपद देहरादून के रायपुर ब्लॉक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव.

प्राक्कलन बावत सहस्त्रधारा (कार्लीगाड) से नालीकला मोटर मार्ग प्रस्तावित मोटर मार्ग में 0–10 व्यास वर्ग के 89 बाधक वृक्षों को ट्रांस प्लांट कार्य का आंकलन,

मसूरी रेंज, मसूरी वन प्रभाग।

क0 सं0	कार्य का नाम	ईकाई	नपत(मी0में)			मात्रा	दर (रू0)		योग
			ल0	चौ0	ऊं0				
1	89 वृक्षों के ट्रांसप्लांट हेतु गड्ढा खुदान कार्य करना	89	1.50	1.50	2.00	400.50	घ0मी0	244.60	97962.30
PWD UTTRAKHAND Building Works Based On CPWD skeleton Year 2015-2016 Item No. 91511									
2	वृक्षों को सुरक्षित उखाड़ना,	89	स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर			89		1000.00	89000.00
3	वृक्षों को खोदे गये गड्ढों तक ढुलान करना, श्रमिकों के द्वारा	89	स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर			89		800.00	71200.00
4	वृक्षों का रोपण करना व गढ्ढा भरान करना	89	स्थानीय श्रमिकों की उपलब्धता के आधार पर			89		200.00	17800.00
5	वृक्षों हेतु गोबर खाद मय ढुलान के	89	स्थानीय बाजार दर पर			89		80.00	7120.00
		योग							**283082.30**
	आकस्मिक व्यय– 2 प्रतिशत								**5661.65**
	कुल योग–								**288743.95**

या– रू0– **288700.00**

प्रतिहस्ताक्षरित
उप–प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज, मसूरी।

सहायक अभियन्ता तृतीय
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
6, इन्दिरा नगर, देहरादून

(Sanjay Singh)
Executive Engineer
P.M.G.S.Y, I.D., 6,Indira Nagar,
Dehradun Govt. of Uttarakhand

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी